

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, बृहस्पितवार, अप्रैल 27, 2017/वैशाख 7, 1939 No. 166] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2017/VAISAKHA 7, 1939

दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

(संसद के अधिनियम के तहत सांविधिक निकाय)

अधिसूचना

कोलकाता, 19 अप्रैल, 2017

- सं. सीडब्ल्यूए/1/2017.—लागत एवं कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 की द्वितीय अनुसूची के भाग-II के उपवाक्य (1) के तहत दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एआउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद एतद्वारा इंस्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करती है:
- (I) संस्थान में कार्यरत कोई सदस्य लेखा परीक्षा जैसी सेवाओं तथा ऐसी प्रमाणन सेवाओं के क्षेत्रों में किसी संगठन अथवा व्यावसायिक सेवाओं के प्रयोक्ता द्वारा जारी किसी निविदा का उत्तर नहीं देगा जोकि संविधि द्वारा लागत लेखाकारों के लिए विशिष्ट रूप से आरक्षित हैं। तथापि, यह प्रतिबंध वहां लागू नहीं होगा जहां कार्य का न्यूनतम शुल्क निविदा दस्तावेज में ही निर्धारित हो अथवा जहां क्षेत्र लागत लेखाकारों सहित अन्य व्यावसायिकों के लिए खुले हों।
- (II) ये दिशानिर्देश भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

कौशिक बनर्जी, सचिव

[विज्ञापन-Ⅲ/4/असा./37/17]

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

(Statutory body under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

Kolkata, the 19th April, 2017

No. CWA/1/2017.—In exercise of the powers conferred on it under clause (1) of Part II of the Second Schedule of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost Accountants of India hereby issues the following guidelines for compliance by the members of the Institute:

2801 GI/2017 (1)

- (i) A member of the Institute in practice shall not respond to any tender issued by an organization or user of professional services in areas of services such as audit and attestation services which are exclusively reserved for Cost Accountants by a statute. However, such restriction shall not be applicable where minimum fee of the assignment is prescribed in the tender document itself or where the areas are open to other professionals along with the Cost Accountants.
- (ii) These Guidelines shall come into force on the date of publication in the Gazette of India.

KAUSHIK BANERJEE, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./37/17]